

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) नि प/एम-310/90/अलेसे-III/

दिनांक :- 30.5.1(A)-30.5.1(K)
10-5-2013

कार्यालय आदेश

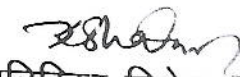
श्री मोहम्मद सलीम, क.लेखाकार तत्कालीन पदस्थापित पंचायत समिति, केशोरायपाटन (बूंदी) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा द्वारा अपराध संख्या 286/2009 में इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 3041 दिनांक 10.05.2013 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, पुनरावेदन) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा उक्त श्री मोहम्मद सलीम, क.लेखाकार कार्यालय उपकोष अंता (बारां) को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

इन्हें निलंबन काल के दौरान राजस्थान सेवा नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कोषालय, बारां में किया जाता है, जहां वे नियमित उपस्थिति देंगे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई) नि प/एम-310/90/अलेसे-III/ दिनांक :- 30.5.1(A)-30.5.1(K)
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 10-5-2013

1. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. उप अधीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केशोरायपाटन (जिला-बूंदी)।
5. कोषाधिकारी, बारां।
6. उपकोष कार्यालय, अंता (बारां)
7. श्री मोहम्मद सलीम, क.लेखाकार, उपकोष कार्यालय अंता (बारां)।
8. श्री महेन्द्र गोयल, क.लेखाकार।
9. पदस्थापन शाखा/कम्प्यूटर शाखा, वेबसाइट हेतु।
10. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)